



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2016/माघ 20, 1937

No. 352]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2016/MAGHA 20, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2016

का.आ. 411(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) और धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोट परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

(2) उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

(1) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"11.	500 सी सी से कम इंजन क्षमता के तिपहियों और मोटर साइकिलों से भिन्न सभी मोटर यानों पर बाध्य संकेत।	इसमें वर्णित यान के श्रेणियों के लिए समय समय पर यथा संशोधित आई.एस. 13942: 1994। इसमें वर्णित एम 1 यान कि श्रेणियों के लिए समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस-120/2014।	प्रारंभ की तारीख 13 दिसंबर, 2004 एम 1 श्रेणी के यानों के लिए 30 सितंबर, 2017 तक और एम 1 श्रेणी के यानों की विद्यमान मॉडलों के लिए 30 सितंबर, 2019 तक विधिमान्य। नए माडलों के लिए 1 अक्टूबर, 2017 " विद्यमान मॉडलों के लिए 1 अक्टूबर, 2019"

(ii) क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"18.	मोटर यानों जिनके अंतर्गत कृषि ट्रैक्टर और संनिर्माण उपस्कर यान भी हैं पर निंत्रण, टैल टेल तथा संकेतक की पहचान और नियंत्रक अविस्थिति तथा प्रचान अपेक्षाएं।	समय समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस -071/2009 (भाग 1 और भाग 2)।	कृषि ट्रैक्टर और दुपहिया यानों से भिन्न सभी यानों के लिए जिसके अंतर्गत संनिर्माण उपस्कर यान भी है : नए मॉडलों के लिए 15 मार्च, 2013 ; विद्यमान मॉडलों के लिए 15 मार्च, 2014; कृषि ट्रैक्टरों के लिए: 37 के वी से कम इंजन क्षमता 1 अप्रैल, 2013; 37 के वी से अधिक इंजन क्षमता 1 अप्रैल, 2014; दुपहिया यानों के लिए : नए मॉडल के लिए : प्रारंभ की तारीख: 15 मार्च, 2013 तक विधिमान्य: 30 सितंबर, 2016 विध्यमान मॉडलों के लिए: प्रारंभ की तारीख: 15 मार्च, 2014 तक विधिमान्य: 20 सितंबर, 2017:"
18-क	दुपहिया यानों के नियंत्रण, पैलटेल और संकेतक के स्थान पर, पहचान और प्रचालन	समय-समय पर यथा संशोधित ए आई एस 126/2014	नए मॉडलों के लिए: 1 अक्तूबर, 2016 विद्यमान मॉडलों के लिए: 1 अक्तूबर, 2017";

(iii) क्रम सं. 21 (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

(1)	(2)	(3)	(4)
"21(ii).	स्तंभ (4) में वर्णित की गई तारीख से ही विनिर्मित मोटर यानों की विद्युत चुम्बकीय सघनता।	समय समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस -004 (भाग 3)-2009।	एल प्रवर्ग यान (जिसके अंतर्गत विद्युत शक्ति ट्रेन यान भी है): नए मॉडलों के लिए 1 अक्तूबर, 2013 ; विद्यमान मॉडलों के लिए; 1 अक्तूबर, 2015

			एम और एम प्रवर्ग के मोटर यान भारत प्रकम IV के लिए व्यापक उत्सर्जन का अनुपालन करेंगे जिसके अंतर्गत विद्युत शक्ति ट्रेन यान भी हैं : 1 अक्टूबर, 2015"
--	--	--	--

(iv) क्रम सं. 26,27,28, 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

(1)	(2)	(3)	(4)
"26.	विद्युत शक्ति ट्रेन यान-संनिर्माण और कार्य सुरक्षा की अपेक्षाएं।	समय समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस -038 (पुनरिक्षित 1)-2015।	1 अक्टूबर, 2016
27	विद्युत शक्ति ट्रेन यान- विद्युत उर्जा खपत की माप	समय समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस -039 (पुनरिक्षित 1)-2015।	1 अक्टूबर, 2016
28	विद्युत शक्ति ट्रेन यान-क्षेत्र माप की विधि	समय समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस -040 (पुनरिक्षित 1)-2015।	1 अक्टूबर, 2016
29	विद्युत शक्ति ट्रेन यान- निवल उर्जा और अधिकतम 30 मिनट तक उर्जा की माप	समय समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस -04 (पुनरिक्षित 1)-2015।	1 अक्टूबर, 2016

(v) क्रम सं. 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

(1)	(2)	(3)	(4)
"33.	आटोमोटिव यानों के लिए स्प्रे सप्राेशन युक्तियां।	उसमें विनिर्दिष्ट यानों के लिए समय समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस -013 (आरईवी-1)/2014।	नए मॉडलों के लिए : 1 अक्टूबर, 2016 विद्यमान मॉडलों के लिए : 1 अक्टूबर, 2016";

(vi) क्रम सं. 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

(1)	(2)	(3)	(4)
"40.	यानों के लिए आंतरिक ध्वनि स्तर अपेक्षाएं एम 2, एम 3, एन 2 और एन 3 श्रेणी के परिवहन यानों के लिए	समय समय पर यथा संशोधित आई.एस -12832 : 2010।	1 अक्टूबर, 2016";

(vii) क्रम सं. 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

(1)	(2)	(3)	(4)
"41.	यानों के एम 1 श्रेणी पर लगे बम्परों के लिए अपेक्षाएं	समय समय पर यथा संशोधित आई.एस -15901 : 2010।	1 अक्टूबर, 2016";

(viii) क्रम सं. 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

(1)	(2)	(3)	(4)
“50.	यानों के एम 1 श्रेणी के लिए न्यूनतम स्थल अंतराल की माप के लिए परीक्षण प्रक्रिया ।	समय समय पर यथा संशोधित आई.एस -9435 : 2004 ।	1 अक्टूबर, 2016
51	यानों के एम और एन श्रेणी के लिए प्राधिकृत प्रयोग के विरुद्ध संरक्षण युक्तियां ।	समय समय पर यथा संशोधित आई.एस -9435 : 2004।	1 अप्रैल, 2017
52	एम 1 श्रेणी और एन 1 श्रेणी (2 टन से अनधिक जी वी डब्ल्यू वाले) के लिए यान अलार्म सिस्टम और इमोबाईलाईजर्स टिप्पण : यदि यानों की अन्य श्रेणियों ऐसी युक्तियों से उपयुक्त हैं तो ऐसे यान समय-समय पर यथा संशोधित ए आई एस-076/005 का अनुवर्तन करेगा ।	समय समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस -0765 / 2007 ।	1 अप्रैल, 2017”

[फा. सं. आर.टी.11028/03/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. का.आ. 2412 (अ), तारीख 3 सितम्बर, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2016

S.O. 411(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E) dated 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), namely:-

(2) In the said notification, in the Table,-

(i) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“11.	The external projection on all motor vehicles other than three wheelers of engine capacity less than 500 cc and motor cycles.	IS 13942:1994, as amended from time to time, for vehicle categories mentioned therein.	Date of commencement: 13th December, 2004 Valid up to 30th September, 2017 for new models of M1 category vehicles and 30th September, 2019 for existing models of M1 category vehicles;

		AIS-120/2014, as amended from time to time, for M1 vehicle categories mentioned therein.	For new models: 1st October, 2017” For existing models: 1st October, 2019”
--	--	--	---

(ii) for serial number 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“18.	Identification of Controls, Tell-Tales and Indicators and Control Location and Operation Requirements on motor vehicles including agricultural tractors and construction equipment vehicles	AIS-071/2009 (Part-1 and Part-2), as amended from time to time.	For all vehicles, including construction equipment vehicles, other than agricultural tractors and two wheeled vehicles: For new models: 15th March, 2013; For existing models: 15th March, 2014; For agricultural tractors: Engine capacity below 37 kW: 1st April, 2013; Engine capacity 37 kW or above: 1st April, 2014; For two wheeled vehicles: For new models: Date of commencement: 15th March, 2013 Valid up to: 30th September, 2016 For existing models: Date of commencement: 15th March 2014 Valid up to: 30th September, 2017
18-A	Location, identification and operation of Controls, Tell-tales and Indicators of two wheeled vehicles.	AIS-126/2014, as amended from time to time.	For new models: 1st October, 2016 For existing models: 1st October, 2017”;

(iii) for serial number 21(ii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“21(ii).	Electromagnetic compatibility of motor vehicles manufactured on and from dates mentioned in column (4).	AIS-004 (Part 3)-2009, as amended from time to time.	L category vehicles (including electric power train vehicles) : For new models: 1st October, 2013 For existing models: 1st October, 2015 Motor vehicles of M and N category complying with Mass Emission standards for Bharat Stage IV, including electric power train vehicles: 1st October, 2015”

(iv) for serial numbers 26, 27, 28, 29 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“26.	Electric Power Train Vehicles - Construction and Functional Safety Requirements	AIS-038 (Rev.1) / 2015, as amended from time to time	1st October, 2016.
27.	Electric Power Train Vehicles- Measurement of Electrical Energy Consumption	AIS-039 (Rev.1) /2015, as amended from time to time	1st October, 2016.
28.	Electric Power Train Vehicles - Method of Measuring the Range	AIS-040 (Rev.1) / 2015, as amended from time to time	1st October, 2016.
29.	Electric Power Train Vehicles - Measurement of Net Power and Maximum 30 Minute Power	AIS-041 (Rev.1) / 2015, as amended from time to time.	1st October, 2016.”;

(v) for serial number 33 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“33.	The spray suppression devices for automotive vehicles.	AIS-013 (Rev.1)/2014, as amended from time to time, for vehicles specified therein.	For new models: 1st October, 2016 For existing models: 1st October, 2017”;

(vi) for serial number 40 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

(1)	(2)	(3)	(4)
“40.	The interior noise level requirements for the vehicles - for transport vehicles of M2, M3, N2 and N3 category	IS 12832:2010, as amended from time to time	1st October, 2016.”;

(vii) for serial number 41 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

(1)	(2)	(3)	(4)
“41.	Requirement for bumpers fitted on M1 category of vehicles	IS 15901:2010, as amended from time to time	1st October, 2016.”;

(viii) after serial number 49 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:

(1)	(2)	(3)	(4)
“50.	Test procedure for measurement of minimum ground clearance for M1 category of vehicles	IS 9435: 2004, as amended from time to time	1st October, 2016.
51.	Protective devices against unauthorised use for M and N category vehicles	AIS-075/2006, as amended from time to time	1stApril, 2017.
52	Vehicle Alarm Systems and Immobilizers for M1 category, and N1 category (having GVW not more than 2 ton)	AIS-076/2007, as amended from time to time	1stApril, 2017.”.

	Note: If other categories of vehicles are fitted with such devices, the vehicles shall comply with the requirements of AIS-076/ 2007, as amended from time to time.		
--	---	--	--

[F. No. RT-11028/03/2015- MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and last amended vide notification number S.O. 2412(E), dated the 3rd September, 2015.